न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 51 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 98)

| वादी | बनाम प्रतिवादी |
|---|---|
| 1. सिमरपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति मेहरा निवासी 23 एच तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 5 भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। | 1. रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति मेहरा निवासी चक 23 एच तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति मेहरा निवासी 23 एच तहसील श्रीकरणपुर।<br>3. सुनीता पुत्री रघुवीर सिंह पत्नी रणधीर सिंह जाति मेहरा निवासी चक 23 एच तहसील श्रीकरणपुर।<br>4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:– 04.04.2023

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 ए आरटीए

––निर्णय––   दिनांक : 04.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह के नाम 0.306 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 55/19 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.374 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कुल 0.680 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। उक्त जद्दी जायदाद में से प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि यानि 0.354 हैक्टेयर भूमि का बेचान कर चुका है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी की पैतृक भूमि है। क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता तरसेम सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई है। इस प्रकार से वादी के पिता रघुवीर सिंह के नाम दर्ज भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। आज से 2 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के पास जाकर निवेदन किया कि उक्त भूमि में से मेरे हिस्सा की भूमि मुझे दे देवें एंव उक्त भूमि को खूर्द बुर्द ना करे, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह के नाम 0.306 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 55/19 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.374 हैक्टेयर भूमि, दोनों चको में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 0.680 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्री करणपुर

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने के कारण हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2288 दिनांक 10.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 22 एच के खाता संख्या 3 की कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि में से 0.306 हैक्टेयर भूमि इन्तकाल संख्या 317 दिनांक 26.08.2015 व इन्तकाल संख्या 347 दिनांक 24.05.2017 विरासतन इन्तकाल माता-पिता की मृत्यु के पश्चात रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह को प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार चक 23 एच के खाता संख्या 55 की कुल 0.734 हैक्टेयर भूमि रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह को अपने पिता तरसेम सिंह पुत्र मलूक सिंह को जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 300 दिनांक 26.08.2015 से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पर रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह का कब्जा काश्त है।

3. एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/18 की प्रति, राजस्व ग्राम 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 55/19 की प्रति, चक 22 एच के इन्तकाल संख्या 408 दिनांक 13.03.2022 की प्रति, राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2063 ता 2065 के खाता संख्या 19/17 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह के नाम 0.306 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 55/19 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.374 हैक्टेयर भूमि, दोनों चको में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 0.680 हैक्टेयर भूमि में से वादी को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 22 एच के खाता संख्या 3 की कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि में से 0.306 हैक्टेयर भूमि इन्तकाल संख्या 317 दिनांक 26.08.2015 व इन्तकाल संख्या 347 दिनांक 24.05.2017 विरासतन इन्तकाल माता-पिता की मृत्यू के पश्चात रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह को प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार चक 23 एच के खाता संख्या 55 की कुल 0.734 हैक्टेयर भूमि रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह को अपने पिता तरसेम सिंह पुत्र मलूक सिंह को जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 300 दिनांक 26.08.2015 से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पर रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह का कब्जा काश्त है। इन्तकाल संख्या 408 दिनांक 13.03.2022 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह के द्वारा 0.354 हैक्टेयर भूमि अभिजित सिंह पुत्र जगजीत सिंह को जरिए बैयनामा बेचान की गई है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह के नाम शेष रही 0.680 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद पत्र वादी, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, वादी के शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

## -:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादी सिमरपाल सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सुखजिन्द्र सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 सुनीता को राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 55/19 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.374 हैक्टेयर भूमि, में से प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह के नाम दर्ज कुल 0.680 हैक्टेयर भूमि में बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
सिमरपाल सिंह बनाम रघुवीर सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91ए आरटीए
मुकदमा नम्बर 51/2023
**निर्णय दिनांक :- 04.09.2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादी सिमरपाल सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सुखजिन्द्र सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 सुनीता को राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/18 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 1.733 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 55/19 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.374 हैक्टेयर भूमि, में से प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह के नाम दर्ज कुल 0.680 हैक्टेयर भूमि का वहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 04.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | 00 |
| **योग** | **04** | **00** | **योग** | **00** | **00** |

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 04.09.2024

क्रमांक: रीडर/2024/504
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर